न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर जिला अजमेर

राजस्व वाद संख्या (13/2000) नवीन 26/2017

1–श्रीमति मांगी पत्नि स्व0 श्री पोखर जाति चमार (नाम तर्क)
2–श्री देवराज पुत्र स्व0श्री पोखर जाति चमार
3–श्री छोटू पुत्र स्व0श्री पोखर जाति चमार
निवासीगण ग्राम कोटडा तहसील व जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर
2–नगर सुधार न्यास जरिये सचिव नगर सुधार न्यास अजमेर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,91,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
समक्ष
निधि सिंह आर0ए0एस

उपस्थितः–

1–श्री नोरतमल जैन	**अभिभाषक वादीगण**
2–श्री हेमराज राठौड	**राजकीय अभिभाषक**
3–श्री विजय मिश्रा	**अभिभाषक प्रति0सं0 2 अनु0**

निर्णय

दिनांक 30/01/2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण के द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88,91,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन कि वादीगण की मौरूसी पुश्तैनी कृषि भूमि जिसके खसरा संख्या पुराना 28 नया 54 रकबा 01–01–00 व खसरा संख्या पुराना 29 नया 55 रकबा 00–11–00 जो कि ग्राम कोटडा तहसील व जिला अजमेर मे अवस्थित है, जिसके खातेदार श्री पोखर पुत्र श्री मोती जाति चमार थे जिसका इन्द्राज खसरा गिरदावरी संवत 2015 से 2018 के कालम संख्या 5 व 6 मे दर्ज है, जो कि वादिया संख्या 1 के पति एंव वादीयागण संख्या 2 व 3 के पिता थे। जिनका स्वर्गवास हो जाने के कारण वादीगण को उक्त दर्शाई भूमि विरासत मे प्राप्त हुई है। जिसके वादीगण कानूनी खातेदार है, खसरा नम्बर पुराना 28 जिसकी राजस्व रेकार्ड मे किस्म नाडी एंव खसरा नम्बर पुराना 29 जिसकी किस्म पाल दर्शाई गई है, उक्त भूमि मौके पर समतल भूमि है। जिसके खातेदार वादी संख्या 1 के पति तथा वादीगण संख्या 2 व 3 के पिता के द्वारा उक्त आराजी पर काश्त की जाती रही है। उनके स्वर्गवास के पश्चात वादीगण को उक्त आराजियात विरासत मे प्राप्त हुई है, उपरोक्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी मौरूसी की कृषि आराजी है। जो समतल है तथा वर्षा पर आधारित है। उक्त आराजी पर वादी संख्या 1 के पति तथा वादीगण संख्या 2 व 3 के पिता श्री पोखर अपने जीवन काल मे काश्त करते रहे है उनकी मृत्यु के उपरान्त वादीगण पुश्तैनी समय से निरन्तर बिना किसी दखल व्यवधान के काश्त की जाती रही है परन्तु अजमेर जिले मे अधिंकाश अकाल की स्थिति, पानी की कमी के कारण विवादित भूमि एक फसली ही काश्त की जाती रही है। जो कि पानी की कमी के कारण वादीगण के द्वारा काश्त की गई। संवत 1365 फसली के अनुसार श्री पोखर पुत्र मोती जाति चमार की खुदकाश्त मालिक का इन्द्राज है तथा बाजरा व मूंग की काश्त श्री पोखर के द्वारा किया जाना भी दर्शाया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि पर श्री पोखर एंव वादीगण के द्वारा

Scanned by CamScanner

री महनत व सुधार विकास कर काश्त की जाती रही है। राजस्व अधिकारियो तथा भू0 प्रबन्ध विभाग अजमेर के द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि जो कि श्री पोखर पुत्र मोती की खातेदारी का इन्द्राज खसरा गिरदावरी संवत 2015 से 2018 मे दर्ज है के उपरान्त बिना किसी आधार एंव अधिकार के वादीगण को बिना सूचित किये सिवायचक दर्ज की गई, जबकि मौजूदा जमाबन्दी मे पूर्व के अनुसार इन्द्राज दर्ज किया जाना चाहिए था। राजस्व रेकार्ड के अनुसार खातेदार श्री पोखर पुत्र मोती जाति चमार दर्ज है एंव खुदकाश्त दर्ज है। इस प्रकार विवादित भूमि जिसे स्व0पोखर के द्वारा पुश्तैनी समय से निरन्तर काश्त की जाती रही है तथा अजमेर जिले मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो कि दिनांक 15.06.1958 को लागू किया गया था, के रोज एंव इसके पूर्व तथा इसके पश्चात आज दिवस तक निरन्तर वादीगण के कब्जे काश्त मे रही है। विवादित आराजी कृषि भूमि से लगती हुई अन्य कृषि भूमि खसरा संख्या 49,51,52, व 53 जो कि एक ही चक है वादीगण की खातेदारी की भूमि है। जिस पर वादीगण के द्वारा पुश्तैनी समय से निरन्तकर काश्त की जाती रही है।वाद कारण सर्व प्रथम दिनांक 18.02.2000 को उत्पन्न हुआ है जब वादीगण के द्वारा वर्किंग जमाबन्दी की पमाणित प्रतिलिपि पटवारी हल्का से प्राप्त की जब सिवायचक की जानकारी हुई, तत्पश्चात दिनांक 20.02.2000 को उत्पन्न हुआ जब वादिगण को विवादित भूमि से बेदखल किये जाने की धमकी दी गई। इसके उपरान्त दिनांक 22.02.2000 को उत्पन्न हुआ जब कानूनी नोटिस धारा 80जा0दी0 के तहत दिया गया, इसके उपरान्त हर रोज उत्पन्न हो रहा है। वाद मे सुविधा का सन्तुलन कानून, न्याय , समानता एंव प्राकृतिक न्यायिक सिद्वान्त वादीगण के पक्ष मे है। अन्त मे वाद उद्घोषणा खातेदारी एंव स्थाई निषेधाज्ञा का वाद स्वीकार किया जाकर उपरोक्त आराजी की डिक्री वादीगण के पक्ष मे जारी किये जाने का निवेदन किया।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित आये जिनके द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। दौराने वाद उक्त भूमि नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम दर्ज कर दी गई जिस पर वादीगण के द्वारा दिनांक 05.08.2011 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद के विचाराधीन रहते हुए वाद मे वर्णित आराजी को नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम जमाबन्दी मे दर्ज कर दी गई। जिस पर वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नगर सुधार न्यास अजमेर को प्रतिवादी संख्या 2 कायम किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा दिनांक 04.05.2012 को जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद खारिज कर दिया जावे।

वाद पत्र एंव प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के अनुसार वाद पत्र मे निम्नानुसार तनकी कायम की गईः–

तनकी संख्या 1– आया वादीगण ग्राम कोटडा की वादग्रस्त आराजी पुराना खसरा नम्बर 28 नया 54 रकबा 01–01–00 बीघा तथा खसरा नम्बर पुराना 29 नया 55 रकबा 00–11–00 बीघा भूमि पर पुश्तैनी काबिज होने से खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है ?

..................वादी............

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Scanned by CamScanner

तनकी संख्या 2– आया वादीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 54 व 55 (नये नम्बर) पर पुश्तैनी काबिज काश्तकार होने तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी होने से उपरोक्त वादग्रस्त आराजी के लिये प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

.....................वादी...............

तनकी संख्या 3– आया वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा संख्या 54 व 55 (नये नम्बर) रेकार्ड मे सिवायचक दर्ज होने से खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी वादीगण नही है तथा न ही स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

.... प्रतिवादीगण............

तनकी संख्या 4– अनुतोष

वादीगण के द्वारा खसरा गिरदावरी संवत 2015–2018 प्रदर्श–1,खसरा संवत 1365 फसली प्रदर्श–2, धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रदर्श–3,जमाबन्दी संवत 2040–41 प्रदर्श–4 प्रदर्शित कराये गये है एंव मौखिक साक्ष्य मे पी–डब्ल्यू–1 छोटू पुत्र पोखर तथा पी–डब्ल्यु–2 देवराज पुत्र पोखर के बयान कलमबद्ध किये गये। तथा प्रतिवादीगण की ओर से डी–डब्ल्यु–1 श्रीमति चन्द्रकान्ता विजय हल्का पटवारी कोटडा एंव दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्श डी–1 वर्किंग जमाबन्दी जिसमे वादग्रस्त भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 124 दिनांक 16.03.2004 के अनुसार सिवायचक से नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम दर्ज की गई प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्षगण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया। तनकीवार तनकीयो का विवेचन निम्नानुसार किया जाता है:–

तनकी संख्या– 1:–

आया वादीगण ग्राम कोटडा की वादग्रस्त आराजी पुराना खसरा नम्बर 28 नया 54 रकबा 01–01–00 बीघा तथा खसरा नम्बर पुराना 29 नया 55 रकबा 00–11–00 बीघा भूमि पर पुश्तैनी काबिज होने से खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है ?

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार स्वंय वादीगण पर था। वादीगण के अभिभाषक के द्वारा निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि पर पूर्व मे पोखर पुत्र मोती राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव मे आने के पूर्व से ही काबिज काश्त चले आ रहे थे उनके उपरान्त वादीगण लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। जो रेकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी एंव मौखिक साक्ष्य से स्वंय सिद्व है। अन्त मे वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

उक्त बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक महोदय के द्वारा निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि लगातार पडत रही है तथा वादीगण द्वारा कोई चौसाला जमाबन्दी प्रस्तुत नही की गई है जिससे वादीगण कृषक अथवा उप कृषक के रूप मे काबिज होना सिद्व हो ना ही कभी लगान अदा किया हो तथा विवादित भूमि किस्म नाडी तथा पाल दर्ज है। जो धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार खातेदारी हेतु वर्जित भूमि है, तथा वर्तमान मे आबादी विस्तार हेतु नगर सुधार न्यास को प्रदान की जा चुकी है। उक्त आबादी हेतु हस्तानान्तरण आदेश को भी वादीगण के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय मे चुनौति नही दी गई है। जिससे विवादित भूमि कृषि भूमि की श्रेणी मे नही होने से वाद कारण के अभाव मे एंव विधि द्वारा वर्जित वाद की श्रेणी मे आने के कारण वाद पत्र निरस्त करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के द्वारा उक्त तनकी पर की गई बहस पर मनन किया गया वादीगण द्वारा खसरा गिरदावरी संवत 2015–2018 प्रदर्श–1,खसरा संवत 1365 फसली प्रदर्श–2, धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रदर्श–3,जमाबन्दी संवत 2040–41 प्रदर्श–4 प्रदर्शित कराये गये है ऐव मौखिक साक्ष्य मे पी–डब्ल्यू–1 छोटू पुत्र पोखर तथा पी– डब्ल्यु–2 देवराज पुत्र पोखर के बयान कलमबद्ध किये गये। तथा प्रतिवादीगण की ओर से डी–डब्ल्यु–1 श्रीमति चन्द्रकान्ता विजय हल्का पटवारी कोटडा एंव दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रदर्श डी–1 वर्किंग जमाबन्दी जिसमे वादग्रस्त भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 124 दिनांक 16.03.2004 के अनुसार सिवायचक से नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम दर्ज की गई प्रस्तुत की गई है।

वादीगण एंव प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एंव मौखिक साक्ष्य के जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजियात पुराने खसरा नम्बर 28 रकबा 01–01–00 बीघा किस्म नाडी दर्ज है तथा पुराने खसरा नम्बर 29 रकबा 00–11–00 बीघा की किस्म पाल दर्ज है एंव खसरा गिरदावरी संवत 2015–18 मे उक्त दोनो आराजियात बिलानाम सरकार दर्ज होकर लगातार पडत दर्ज है, एंव खसरा संवत 1365 फसली मे भी खसरा नम्बर 28 मे पोखर व मोती खुदकाश्त मालिक बाजरा व मूंग दर्ज है तथा 29 पडत दर्ज है। तदउपरान्त वर्किंग जमाबन्दी संवत 2040–41 मे पुराने खसरा नम्बर 28 के नये खसरा नम्बर 54 रकबा 01–01–00 बीघा किस्म नाडी पानी के नीचे डूब अंकित है एंव पुराने खसरा नम्बर 29 नये 55 रकबा 00–11–00 बीघा किस्म पाल दर्ज होकर दोनो खसरा नम्बर सरकारी भूमि का खाता मिलकीयत सरकार दर्ज है। जिससे पूर्णतया सिद्ध है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.06.1958 को प्रभाव मे आने से वादीगण व इनके पूर्वजो के द्वारा ना तो कभी काश्त की गई ना ही राज्य सरकार को लगान अदा किया गया तथा ना ही कृषक, उपकृषक अथवा खुदकाश्त ही दर्ज रहे है ना ही निरन्तर चौसाला जमाबन्दीयॉ ही प्रस्तुत की गई है। इतना ही नही भूमि की किस्म नाडी एंव पाल है जो काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत खातेदारी हकूक हेतु प्रतिबन्धित भूमि है, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान के द्वारा भी सिविल रिट पीटीशन संख्या 1536

...यक कलक्टर (मु.), अजमेर

Scanned by CamScanner

सन 2003 मे पारित निर्णय के अनुसरण मे भी डूब क्षेत्र मे खातेदारी प्रदान नही की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(6) के तहत वादीगण भूमिधारी होने का दावा नही कर सकते, क्योकि उन्होने कोई लगान का भुगतान नही किया। फिर वादग्रस्त भूमि तालाब की पेटी है,तो धारा 16 इस मार्ग मे बाधक है। वादी अभिधारी नही है, अतः उन्हे धारा 15 की के अधीन खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। जिनमे जमाबन्दी मे दर्ज कृषक अथवा उप कृषक अंकित होकर लगातार कृषि कार्य करने पर भी राज्य सरकार के विरूद्व विपरीत कब्जे के आधार पर उद्घोषणा खातेदारी प्रदान नही की जा सकती है जबकि प्रस्तुत प्रकरण मे वादीगण के द्वारा खसरा गिरदावरी संवत 2015 से 18, जिसमे बिलानाम सरकार लगातार पडत दर्ज है के आधार पर उदघोषणा खातेदारी का अनुतोष चाहा गया है। जो वादीगण काश्तकारी अधिनियम के अनुसार प्राप्त करने के अधिकारी नही पाये जाते है एंव वर्किग जमाबन्दी के अनुसार वादग्रस्त आराजियात आबादी विस्तार हेतु नगर सुधार न्यास अजमेर को प्रदान की जा चुकी है जिससे विवादित भूमि कृषि भूमि की परिभाषा मे नही आने के कारण काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। जिससे भी वादीगण इस न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही पाये जाते है।उपरोक्त विवेचन के अनुसार उक्त तनकी संख्या 1 विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–2ः–

आया वादीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 54 व 55(नये नम्बर) पर पुश्तैनी काबिज काश्तकार होने तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी होने से उपरोक्त वादग्रस्त आराजी के लिये प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

उक्त तनकी को सिद्व करने का भार भी वादी पर था चूंकि तनकी संख्या 1 का निर्णय विरूद्व वादीगण हो जाने से जिससे वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही होने के कारण उक्त तनकी संख्या 2 विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या –3ः–

आया वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा संख्या 54 व 55 (नये नम्बर) रेकार्ड मे सिवायचक दर्ज होने से खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी वादीगण नही है तथा न ही स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

उक्त तनकी को सिद्व करने का भार भी प्रतिवादी पर था। चूंकि तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय विरूद्व वादीगण हो जाने से वादीगण उदघोषणा खातेदारी एंव स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही पाये गये है। जिससे उक्त तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्व वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–4ः– अनुतोष तनकी संख्या 1 से 3 वादीगण के विरूद्व निर्णित हो जाने से वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः उक्त तनकी संख्या 4 भी वादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

।। आदेश ।।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज एंव तनकीवार किये गये विवेचन के अनुसार वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र वादीगण सिद्ध करने मे असफल रहे है वादीगण के द्वारा वाद सिद्ध नही किये जाने के कारण वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है डिक्री इसी कदर से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Scanned by CamScanner

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री आलोक जैन 'आ0ए0एस0)

1–श्रीमति मांगी पत्नि स्व0 श्री पोखर जाति चमार (नाम तक)
2–श्री देवराज पुत्र स्व0श्री पोखर जाति चमार
3–श्री छोटू पुत्र स्व0श्री पोखर जाति चमार
निवासीगण ग्राम कोटडा तहसील व जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर
2–नगर सुधार न्यास जरिये सचिव नगर सुधार न्यास अजमेर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,91,92ए,188 राज0 का0 अधि01955 सपठित
मुकदमानम्बर :–(13/2000)नवीन 26/2017
निर्णयः– 30/01/2019

वादीगण अभिभाषक **श्री नोरतमल जैन** एंव प्रतिवादी की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित तथा प्रतिवादी संख्या 2 के अभिभाषक अनुपस्थित। इस वाद में आज तारीख 30.01.2019 को पीठासीन अधिकारी **निधि सिंह आर0ए0एस** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है किः– वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र वादीगण सिद्व करने मे असफल रहे है वादीगण के द्वारा वाद सिद्व नही किये जाने के कारण वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है डिक्री इसी कदर से जारी हो।

(निधि सिंह)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर
सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1–वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प	
2–शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3–प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4–........रूपयेपरप्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह– व्यय	
5–साक्षियों के लिए निर्वाह– व्यय		आदेशिका की तामिल	
6–कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7–आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

(निधि सिंह)
सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

Scanned by CamScanner